

School Health Program for the Year 2012-13

School Health Programme is being implemented in the State from the financial year 2010-11. This programme is being run in the state in convergence with education department. There are 38 school health teams functional in the state for health examination of the school children. Each Primary and Upper Primary Govt. school targeted for health examination activity. 977627 children enrolled in 15677 primary and upper primary schools are targeted for health examination in 2012-13. Due to difficult geographical conditions, distance of school from road head and sparse population, existing number of team per district are not able to examine each child once a year.

Since 2010-11 this programme is being implemented in the state through a dedicated school health team which includes two MO's (01 male & 01 female), one pharmacist, and one Community Mobilizer at district level. Besides this there are 2 Regional Coordinator (Garhwal and Kumoun) in positioned for monitoring and monthly report compilation of the programme.

For treatment of the serious diseases in children Rs. 1000000/- is proposed by the state for the year 2012-13. Treatment will be done under the RSBY empanelled Hospitals, and as per the RSBY rates.

Optimally utilising the manpower employed in the teams, as a convergence activity the team will visit Aanganwari Centres and conduct checkups of children same pattern as in schools. These teams will conduct this activity school based Aanganwari centres.

During holidays in the schools, these school health teams will be involved in the examination of children in VHNDs and organization of Adolescent Health Camps under the ARSH programmes.

It has been noticed that the school health team (specially Community Mobilizer and Regional Coordinator) are facing difficulties in the communication with School Nodal Teacher, because of no provision for telecommunication support. For this purpose state is proposing Rs. 500/- per month as mobile talk card for each team and regional coordinator mobile will be used for official purposes during duty hours for the entire team.

It has been noticed that in each new education session about 1 lakh new students are

enrolled in class 1st of Govt. primary schools, for the health examination of new enrolled student's there is need for 1 lakh Health Examination Card and Referral Slip every year. For printing of new card and slip state is proposing Rs. 600000/- Normally students referred in District hospital, Combined hospital, Medical Collage, CHC, PHC, Additional PHC, State Allopathic Dispensaries and Sub centre.

Role of Education Department :

Nodal teacher of each targeted school has been identified. Orientation training of nodal teachers regarding health examination activity has been done in all districts.

School health Cards and Registers :

Health examination card at primary school level distributed by Education department since starting of the program. For upper primary classes (class 6th to 8th) health examination cards has been distributed by district health department. Health card is design for 5 time use, so that one health card can be utilized 5 times.

School Health Committee and PTA :

School Management Committee (SMC) and Parents Teacher Association (PTA) is also playing their role in health examination activity. Health team is providing advance information to them about the date of health examination. Both are helping in referred children cases.

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

वर्ष 2013-14 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के निम्न उद्देश्य हैं।

1. 0 से 18 वर्ष के सभी बच्चों की वर्ष में 2 बार स्वास्थ्य जांच एवं निःशुल्क उपचार प्रदान करना।
2. **Birth Defects** के मामलों का आरम्भिक स्तर में पता लगाकर उपचार करना।
3. बीमार बच्चों, पोषण की कमी से ग्रसित बच्चों, **Developmental delay** एवं विकलांगता की पहचान कर उपचार करना।
4. सभी उपचार निःशुल्क कर परिवार का **Out of pocket expenditure** कम करना।

कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में स्कूल स्वास्थ्य टीमों के माध्यम से प्राथमिक स्तर से इण्टरमीडिएट स्तर तक के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित बच्चों का स्कूल स्तर पर, आंगनबाड़ी में नामांकित बच्चों का आंगनबाड़ी स्तर पर तथा स्कूल न जाने वाले बच्चों का आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वर्ष में 2 बार स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण मुख्य रूप से 4Ds (**Birth at defects, Diseases in children, Deficiency conditions and Developmental delay including disabilities**) की पहचान एवं उपचार पर आधारित होगा, जिसके अनुसार बच्चों का **On the spot health examination** कर चयनित बच्चों को उच्च चिकित्सा के लिये **District Early Intervention Center (DEIC)** एवं तत्पश्चात राज्य द्वारा अनुबन्धित **Tertiary care treatment hospitals** को सन्दर्भित किया जायेगा। सन्दर्भण सेवाओं के लिये निःशुल्क वाहन की व्यवस्था सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

कार्यक्रम के अधीन उपचार हेतु सन्दर्भित बच्चों को समुचित सन्दर्भण सेवा प्रदान करने हेतु प्रदेश के 9 जिला/तहसील स्तर के चिकित्सालयों में **District Early Intervention Center (DEIC)** स्थापित किये जायेगें, जोकि अपने तथा सम्बद्ध जनपद के सभी सन्दर्भित बच्चों को उपचार प्रदान करेंगें। (DEIC) स्थापना हेतु चयनित जनपदों में भारत सरकार के सहयोग से **Infrastructure/equipment** तथा आवश्यक मानव संसाधन की तैनाती की जायेगी। जिन बच्चों का उपचार (DEIC) में सम्भव नहीं होगा उन्हें **Tertiary care treatment hospitals** को सन्दर्भित किया जायेगा जहां पर ऐसे बच्चों को निःशुल्क उपचार प्राप्त होगा।

भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार **Target Group** कार्यक्रम की स्वास्थ्य जांच का कार्य निम्नानुसार सम्पन्न किया जायेगा।

- 0 से 6 माह तक के बच्चों की देखभाल एवं बीमारियों की पहचान प्रत्येक **Delivery point** पर तैनात स्टाफ द्वारा **Facility level** पर एवं आशा कार्यकर्त्री के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में घर-घर भ्रमण कर की जायेगी।
- 6 सप्ताह से 6 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कार्य ब्लाक स्तरीय मोबाइल स्वास्थ्य टीमों के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सम्पन्न किया जायेगा।
- 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयुवर्ग के बच्चों जोकि प्रदेश के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित हैं का स्वास्थ्य परीक्षण कार्य ब्लाक स्तरीय मोबाइल स्वास्थ्य टीमों के द्वारा सम्बन्धित विद्यालयों में भ्रमण के समय किया जायेगा।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिकित्सा, शिक्षा एवं महिला सशक्तीकरण तथा बाल विकास विभाग के गहन समन्वय एवं आपसी सहयोग से संचालित होगा। इस हेतु सम्बन्धित विभागों का राज्य स्तर पर एक कोरग्रुप गठित किया जाता है, जिसका स्वरूप निम्नवत होगा—

- | | |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड | अध्यक्ष |
| 2. प्रमुख सचिव/सचिव, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 3. प्रमुख सचिव/सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | सदस्य |
| 5. मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, उत्तराखण्ड
सचिव | सदस्य |
| 6. निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 7. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 8. डॉ0 सुजाता सिन्हा | सदस्य |

उपरोक्त समिति वर्ष में 4 बार राज्य स्तर पर बैठक कर कार्यक्रम की समीक्षा कर कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगी।

राज्य स्तर पर महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में कार्यक्रम क्रियान्वयन कमेटी का गठन किया जायेगा, जिसका स्वरूप निम्नवत होगा—

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड | अध्यक्ष |
| 2. मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, उत्तराखण्ड | सह अध्यक्ष |
| 3. निदेशक, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 4. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 5. अपर निदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, स्वास्थ्य महानिदेशालय, उत्तराखण्ड
सचिव | सदस्य |

उक्त समिति प्रत्येक माह बैठक कर कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। कार्यक्रम में सहयोग प्रदान कर रहे तीनों विभागों (स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आई0सी0डी0एस0) में से जिस भी विभाग द्वारा शिथिलता/लापरवाही बरती जा रही हो उस पर कार्यवाही कर सुधार करेंगे। समिति अपनी त्रैमासिक रिपोर्ट कोरग्रुप को प्रेषित करेगी।

जिला स्तर पर कार्यक्रम के सफल संचालन एवं अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जायेगी, जो निम्नवत होगी—

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. मुख्य विकास अधिकारी | सदस्य |
| 3. मुख्य चिकित्साधिकारी | सदस्य |
| 4. मुख्य शिक्षा अधिकारी | सदस्य |
| 5. जिला बाल विकास अधिकारी | सदस्य |
| 6. उप मुख्य चिकित्साधिकारी, आर0सी0एच0 | सदस्य सचिव |

उपरोक्त पृष्ठभूमि में शासन द्वारा RBSK कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्वास्थ्य विभाग, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास तथा विद्यालयी शिक्षा विभागों के मध्य अभिसरण स्थापित किये जाने के उद्देश्य से विकासखण्ड, जिले एवं राज्य स्तर पर तीनों विभागों के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों के मध्य समन्वय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु तीनों विभागों के दायित्वों का निर्धारित अनुलग्नक -क के अनुसार किये गये हैं।

स्वास्थ्य, महिला, शिक्षा विभाग के मध्य जिला एवं ब्लाक स्तरीय बैठकों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के समाधान के साथ-साथ RBSK कार्यक्रम में सूचना भेजने के निर्धारित प्रारूपों अनुलग्नक-ख की समीक्षा करेंगे एवं प्रगति की जानकारी तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे।

उपरोक्त आदेशों के प्रसारित होने के उपरान्त प्रत्येक विभाग अपने स्तर से आवश्यक निर्देश जारी कर नियमित अनुश्रवण व्यवस्था स्थापित करेंगे। RBSK कार्यक्रम में अभिसरण के साथ ही प्रशिक्षण हेतु आवश्यकतानुसार वांछित सहयोग प्रदान करेंगे।

यह आदेश महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

अनुलग्नक-क (स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आई.सी.डी.एस. विभागों के कार्य दायित्व)

स्वास्थ्य विभाग, महिला सशक्तीकरण तथा शिक्षा विभाग निम्नानुसार संयुक्त रूप से कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु अभिसरण स्थापित कर कार्य करेंगे। प्रत्येक विभाग के निम्न दायित्व होंगे।

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग-

- 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों की ब्लाकवार सूची तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूचना सम्बन्धित ब्लाक के चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराना।
- मोबाइल स्वास्थ्य टीम का पूरे वर्ष हेतु ब्लाकवार भ्रमण कार्यक्रम बनाने में शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग प्रदान करना।
- ब्लाकवार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्वास्थ्य टीमों द्वारा किये जा रहे स्वास्थ्य परीक्षण के समय सहयोग प्रदान करना।
- अधिक से अधिक बच्चों को स्वास्थ्य जांच का लाभ प्रदान करने हेतु प्रचार-प्रसार करना।
- वीकली आरयन फालिक एसिड सप्लिमेंट (WIFS) कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गयी आई0एफ0ए0 तथा डिवारमिंग गोलियों को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आ रही किशोरियों कमशः सप्ताह में एक बार तथा वर्ष में दो बार अपने सामने खिलवाना।
- निर्धारित प्रारूपों पर प्रत्येक माह सूचना जिला मुख्यालय को प्रेषित करना।
- राज्य स्तर से निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी हेतु सभी विभाग राज्य से दिये गये निर्देशानुसार प्रचार-प्रसार करेंगे।

शिक्षा विभाग-

- ब्लाकवार 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों एवं विद्यालयों की संख्या का विवरण स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराना।

- मोबाइल स्वास्थ्य टीम का पूरे वर्ष हेतु ब्लाकवार भ्रमण कार्यक्रम बनाने में स्वास्थ्य एवं आई0सी0डी0एस0 विभाग के साथ सहयोग प्रदान करना।
- ब्लाकवार मोबाइल स्वास्थ्य टीमों द्वारा किये जा रहे स्वास्थ्य परीक्षण के समय सम्बन्धित विद्यालय के नोडल अध्यापक सहयोग प्रदान करेंगे।
- अधिक से अधिक बच्चों को स्वास्थ्य जांच का लाभ प्रदान करने हेतु प्रचार-प्रसार करना।
- उच्च जांच हेतु (DEIC) में सन्दर्भित किये गये बच्चों के अभिभावकों एवं माता-पिता को प्रेरित करना तथा सन्दर्भित बच्चों तथा सन्दर्भण इकाई पर पहुंचे बच्चों की संख्या से स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराना।
- वीकली आरयन फालिक एसिड कार्यक्रम (WIFS) के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गयी आई0एफ0ए0 तथा डिवायिंग गोलियों को 6-12 तक के बच्चों को क्रमशः अपने सामने सप्ताह में एक बार तथा वर्ष में दो बार खिलवाना।
- निर्धारित प्रारूपों पर प्रत्येक माह सूचना ब्लाक से जिला तथा जिला स्तर से राज्य मुख्यालय को प्रेषित करना।
- कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी हेतु सभी विभाग राज्य से दिये गये निर्देशानुसार प्रचार-प्रसार करेंगे।
- राज्य स्तर से निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

स्वास्थ्य विभाग-

- जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिलों हेतु निर्धारित स्कूल स्वास्थ्य टीमों का चयन कर उन्हें ब्लाकवार प्लेसमेंट देना तथा मोबाइल स्वास्थ्य टीम की मोबिलिटी हेतु वाहन की व्यवस्था करना।
- सभी डिलीवरी प्वाइंट (डी0एच0, तहसील स्तरीय चिकि0, सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 एवं उपकेन्द्र) जहां प्रसव हो रहे हो का चिन्हीकरण कर उसकी सूची अन्य दोनों विभागों को उपलब्ध कराना।
- मोबाइल स्वास्थ्य टीमों का ब्लाकवार एडवांस टूर प्रोग्राम दोनों विभागों के सहयोग से तैयार कर उसे सर्कुलेट करवाना।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं विद्यालयों में मोबाइल स्वास्थ्य टीमों द्वारा किये जा रहे स्वास्थ्य परीक्षण कार्य की गुणात्मकता का परीक्षण करना एवं उसमें आवश्यक सुधार करना।
- DEIC तथा Tertiary care हेतु सन्दर्भित बच्चों को निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराना।
- आशा कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षण देकर घर पर रहने वाले 6 माह से 6 वर्ष तक के बीमार एवं विकलांग बच्चों की पहचान कर आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मोबाइल स्वास्थ्य टीमों के द्वारा जांच हेतु प्रेरित करना।
- निर्धारित प्रारूपों पर प्रत्येक माह सूचना ब्लाक से जिला तथा जिला द्वारा राज्य मुख्यालय को प्रेषित करना।
- कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी हेतु सभी विभाग राज्य से दिये गये निर्देशानुसार प्रचार-प्रसार करेंगे।
- (RBSK) हेतु Logistic की आपूर्ति करना।